FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

लियाकतअली बनाम कादरखां

किस्म मुकदमा :—प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 2020/00032

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
19-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना मिले व पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 1 पीकेएम के मु0नं0 203/40 के किला नं0 1 ता 15 की 15.00 बीघा भूमि पर दिनांक 26.05.2020 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। अतः उभयपक्ष मूल वाद के निस्तारण तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	